षोडश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 07 चैत्र, 1940 (श0) / 28 मार्च, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) ग्रामीण विकास विभाग	..	..	01
(2) पथ निर्माण विभाग	..	..	01
(3) श्रम संसाधन विभाग	..	..	01
		कुल योग —	03

परियोजना प्रस्ताव भेजना

40. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व की मार्गदर्शिका एवं वर्ष 2016-17 से प्रभावी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आलोक में विशेष परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के Empowered Committee को उपलब्ध कराने के लिये राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों की सूची भेजने के संबंध में विभागीय पत्रांक 302713, दिनांक 3 मार्च, 2017 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों/उप-विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण अबतक राज्य के अधिकांश जिलों से विभाग को प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण भारत सरकार को उक्त सूची नहीं भेजी जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये अविलम्ब विशेष परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध वसूली को बंद करने के संबंध में

41. श्री नीरज कुमार सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के डुमरी के समीप कोसी-बागमती नदी के ऊपर बने बी0 पी0 मंडल सेतु क्षतिग्रस्त होने के कारण वहाँ नाव को जोड़कर चचरी पुल बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चचरी पुल को बनाने के लिये जिला प्रशासन के द्वारा निविदा के माध्यम से लोकल नाविकों से लगभग 35 लाख रुपये लिये गये थे ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त चचरी पुल से गुजरने वाले आम यात्रियों के चार पहिये वाहनों से 300 रुपया प्रति वाहन, किसानों के ट्रैक्टर से 200 रुपया प्रति ट्रैक्टर, मोटर साइकिल वालों से 30 रुपया प्रति मोटर साइकिल एवं साइकिल वालों से 10 रुपया प्रति साइकिल पुल निर्माता द्वारा वसूला जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल निर्माण की निविदा की जाँच के साथ अवैध वसूली को बंद करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत स्तर पर निबंधन कराना

42. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिये साइकिल एवं औजार सहित 15 हजार का सामान बेटी की शादी के लिये 50 हजार की आर्थिक मदद एवं असमय मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की मदद जैसी योजनाएँ संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजनाएँ केवल निबंधित श्रमिकों को ही देने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 8 लाख से ज्यादा श्रमिक अनिबंधित हैं, केवल 5 प्रतिशत श्रमिकों का ही निबंधन हो सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के असंगठित एवं अनिबंधित मजदूरों के निबंधन हेतु पंचायत स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2018 (ई0) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 133-डी0टी0पी0-500